सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत : छींतोली, **कैम्प दिनांक 21.06.2018**

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 71/2017 **दायर तारीख 04.09.2017**

1. गुरूदयाल पुत्र सुल्तान
2. लाडा देवी पत्नी सुल्तान

जाति गुर्जर निवासी भोजपुरा उर्फ लाखावाला तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—— वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
2. तहसीलदार, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—— प्रतिवादीगण

3. कमला देवी
4. ज्ञानी देवी
5. माली देवी
6. संती देवी

पुत्रियां सुल्तान, जाति गुर्जर निवासी भोजपुरा उर्फ लाखावाला, तहसील विराटनगर जयपुर

—— तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री आनन्दसिंह शेखावत, अधिवक्ता वादीगण
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 21.06.2018

1. वादीगण ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम भोजपुरा उर्फ लाखावाला के खसरा नम्बर 622/0.60, 628/0.26 हैक्टेयर किस्म बंजड सिवायचक सरकारी भूमि है पर वादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादीगण का पिता एवं वादी संख्या 2 का पति सुल्तान पुत्र लूणा बहुत पहले से काबिज होकर काश्त करता आ रहा है एवं संवत् 2051 से उक्त भूमि की पैनल्टी भी देता आ रहा है। सुल्तान के फौत होने बाद वादीगण उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। आराजी मुतनाजा को वादीगण ने काफी पैसा खर्च कर तथा काफी श्रम कर आराजी को काबिल काश्त बनाया है। राज्य सरकार

Web Copy Not Official

भी पुराने कब्जे काश्त की सरकारी सिवायचक भूमियों को राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन अधिनियम 1970 के नियम 18 से 20 में कब्जे को नियमन करती है और राज्य सरकार के राजस्व विभाग के आदेशानुसार सन् 2008 तक के कब्जों को नियमन करने के आदेश प्रदान किये हुए है। वादीगण का उक्त आराजी पर संवत् 2051 यानी वर्ष 1994 से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा अधिकांश वर्षो में वादीगण एवं इनके पूर्वज सुल्तान के हक में फसल गिरदावरियां भी हुई है, जिससे वादीगण का वर्ष 2008 से भी पहले का कब्जा काश्त चले आने से वादीगण उक्त आराजी को अलाटमेंट रूल्स के हिसाब से नियमन करवाने के हकदार है, यानी खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है। अतः निवेदन है वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को ग्राम भोजपुरा उर्फ लाखावाला के हाल खसरा नम्बर 622/0.60, 628/0.26 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.86 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण को उक्त आराजी पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करने देवें।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजीका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित हुए।
3. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 1 संवत् 2070–2073, नकल खसरा परिवर्तित निर्धारण तथा गैरमुस्तकिल काश्त संवत् 2051, 2052, 2053, 2056, 2058, 2059, 2061, 2062 आदि पेश किये।
4. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट छींतोली में वास्ते सुनवाई पेश हुई। वादी संख्या 1 उपस्थित रहा, पैरोकार सरकार से जवाब लिया गया।
5. पैरोकार सरकार का जवाब रहा कि आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 622/0.60, 628/0.26 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.86 हैक्टेयर सिवायचक सरकारी भूमि है, जिसकी खातेदारी वादीगण को दिया जाना न्यायसंगत नहीं है।
6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया। मुताबिक जमाबन्दी खाता संख्या 1 संवत् 2070–2073 आराजी खसरा नम्बर नम्बर 622/0.60, 628/0.26 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.86 हैक्टेयर की खातेदारी राजस्थान सरकार किस्म बंजड सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। यदि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर किसी कदर काबिज काश्त हैं, तो वह बतौर

अतिक्रमी काबिज है, जिसके संबंध में तहसीलदार विराटनगर को यह आदेशित किया जाना न्यायसंगत पाता हूॅ कि तहसीदार नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर, आराजी मुतनाजा को अतिक्रमण मुक्त करावें।

आदेश

वादी का वाद सारहीन होने से खारिज किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम भोजपुरा उर्फ लाखावाला के खसरा नम्बर 622, 628 सिवायचक सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार विराटनगर को मय तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

निर्णय मजमा–ए–आम कैम्प कोर्ट छींतोली दिनांक 21.06.2018 को सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

सत्यमेव जयते

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :— उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार—2018 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत छींतोली

बइजलास :— मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

1. गुरूदयाल पुत्र सुल्तान
2. लाडा देवी पत्नी सुल्तान

जाति गुर्जर निवासी भोजपुरा उर्फ लाखावाला तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

— वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
2. तहसीलदार, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

— प्रतिवादीगण

3. कमला देवी
4. ज्ञानी देवी
5. माली देवी
6. संती देवी

पुत्रियां सुल्तान, जाति गुर्जर निवासी भोजपुरा उर्फ लाखावाला, तहसील विराटनगर जयपुर

— तरतीबी प्रतिवादीगण

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 71/2017 **दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री आनन्दसिंह शेखावत, एडवोकेट** व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **पैरोकार सरकार** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को ग्राम भोजपुरा उर्फ लाखावाला के हाल खसरा नम्बर 622/0.60, 628/0.26 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.86 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण को उक्त आराजी पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करने देवें।

कैम्प कोर्ट छींतोली में सुना गया। वादी का वाद घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है। आराजी खसरा नम्बर 622, 628 सिवायचक सरकारी भूमि है, जिसके खातेदारी अधिकार वादीगण को प्रदान नहीं किये जा सकते हैं।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद सारहीन होने से खारिज किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम भोजपुरा उर्फ लाखावाला के खसरा नम्बर 622, 628 सिवायचक सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार विराटनगर को मय तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।
निर्णय मजमा–ए–आम कैम्प कोर्ट छींतोली दिनांक 21.06.2018 को सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुबलिक ....शून्य............................ बाबत ....शून्य..................... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य.................. की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक ....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 21.06.2018** को जारी की गई।

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अरजी	
स्टाम्प बजह सबूत		महन्ताना वकील	
महन्ताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बबत इजराय	
बबत इजराय हुक्मनामा		हुक्मनामा	
		मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस दर्ज करना चाहिए।

(मुकेश कुमार मूंड) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर